

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक: DHE/7/3/0087/2025-NAAC-DHE

भोपाल दिनांक: 01-10-2026

प्रति,

1. समस्त कुलसचिव,
शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. समस्त अधिष्ठाता/अधीक्षक/प्रमुख,
शासकीय एवं निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थान, मध्यप्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य,
शासकीय / अनुदान प्राप्त / अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
4. समस्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य,
शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संचालक / प्रबंध संचालक,
कोचिंग संस्थान एवं आवासीय अकादमियां, मध्यप्रदेश।

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में मध्य प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों हेतु **"Uniform Mental Health Policy - 2026 (SPANDAN)"** जारी करने एवं क्रियान्वयन बाबत।

संदर्भ: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2025 (Sukdeb Saha vs State of Andhra Pradesh & Ors., SLP (Crl.) No. 6378/2024)।

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक **25.07.2025, SLP (Crl.) No. 6378/2024** के पैरा-35 के बिंदु क्रमांक-I में दिए गए निर्देशों के अनुसार देश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण हेतु **Uniform Mental Health Policy** लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा **"UNIFORM MENTAL HEALTH POLICY-2026 (SPANDAN – Student Psychological Assistance and Nurturing for Development, Awareness and Navigating Psychological Wellbeing)"** का निर्माण किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

अतः सभी संस्थान Uniform Mental Health Policy को संस्थान वेबसाइटों और नोटिस बोर्डों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यूनिफॉर्म मेंटल हेल्थ पॉलिसी **(SPANDAN-2026)** की प्रति।

Digitally signed by
Laxmikant Khare
Date: 01-10-2026
12:13:41
(एल0के0 खरे)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

//2//

पृ. क्रमांक: DHE/7/3/0087/2025-NAAC-DHE

भोपाल दिनांक: 01-10-2026

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
4. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
5. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
6. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. आयुक्त/संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. आयुक्त/संचालक, स्कूल शिक्षा/लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश- शिक्षण संस्थानों में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश — अपने संभाग के अंतर्गत संबंधित संस्थानों में समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु।
11. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश — जिला स्तर पर संबंधित शैक्षणिक/कोचिंग संस्थानों के साथ आवश्यक समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु।
12. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), नई दिल्ली।
13. सचिव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (MPPURC), भोपाल।
14. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश — अपने क्षेत्रांतर्गत संस्थानों में कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश — अपने क्षेत्रांतर्गत संस्थानों में कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
16. गार्ड फाइल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग